संख्या-- 196 /छ:ना0सु0-10-3बजट /09

प्रेषक,

गिरिराज प्रसाद वर्मा ,
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक सुरक्षा निदेशालय,
उ0प्र0, लखनऊ।

गृह(नागरिक सुरक्षा)अनुभाग लखनऊ:दिनांक 26 फरवरी, 2010

विषयः- वित्तीय वर्ष 2009-10 हेतु नागरिक सुरक्षा विभाग के उच्चीकरण/सुदृढ़ीकरण हेतु केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत अनुपूरक मांग के माध्यम से धनराशि रू0160.37 लाखकी स्वीकृति के सम्बन्ध में

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1599/अनु-1/103/2009 दिनांक-04-12-2009 एवं वित्त आय-व्ययक अनुभाग -2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-2-354/दस-2010-244(5)/2010 दिनांक-17-2-2010 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2009-10 में नागरिक सुरक्षा विभाग के उच्चीकरण /सुदृढ़ीकरण हेतु रू0160.37 -(रूपये एक करोड. साठ लाख सैंतिस हजार मात्र) की धनराशि स्वीकृत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त स्वीकृति इस शर्त के अधीन है कि स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग/व्यय समस्त सुसंगत नियमों/शासनादेशों के अनुसार किया जायेगा तथा कोई भी धनराशि पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी।

3- मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि प्रशासनिक व्यय में मितव्ययिता सम्बन्धी शासन द्वारा जारी शासनादेश संख्या-सी0ए0 1132/दस-2004-मित0-1/2004 दिनांक 7 जनवरी, 2005 का विशेष रूप से पालन किया जाये ताकि अपव्यय को रोका जा सके।

4- शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितान्त आश्यक है, अतः व्यय करते समय मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त संसाधन(केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या- सी0ए0 934/दस-2008-मित0-1/2007 दिनांक 2 सितम्बर, 2008 का विशेष रूप से पालन किया जाये।

5- उक्त अनूपूरक अनुदानों के अन्तर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94 दिनांक

--2--

दिनांक–6 जून,1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन किया जाय।

6– यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन मात्र किसी प्रकार व्यय करने का अधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में उ0प्र0 मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने सें पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्यक प्राप्त कर ली जाय चूंकि कुल राशि विभागाध्यक्ष की अधिकारिक सीमा से अधिक है। अतः व्ययानुमति/कयानुमति शासनस्तर से प्राप्त करना आवश्यक होगा।

7– उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के पैरा–88 में स्पष्ट किया गया कि नियंत्रक अधिकारी या विभागाध्यक्ष जैसी भी स्थिति हो इस बात को सुनिश्चित करने के लिये उत्तरदायी होगें कि व्यय को कड़ाई के साथ प्राधिकृत विनियोग के भीतर रखा जाय। निदेशक, नागरिक सुरक्षा यह व्यवस्था सुनिश्चित करेगें कि वित्तीय स्वीकृतियों समक्ष व्यय के अनुश्रवण की नियमित व्यवस्था की जाय तथा शासन को इससे अवगत करायी जाय।

8– उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2009–10 के आय–व्ययक की अनुदान संख्या–27 के निम्नलिखित मदों के नामें वहन किया जायेगाः–

(धनराशि हजार रूपये में )

लेखाशीर्षक

2070–अन्य प्रशासनिक सेवाएं
106–सिविल रक्षा
01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं
01–नागरिक सुरक्षा संगठन का सुदृढ़ीकरण (के. 100/रा. 00–के.)

| | | |
|---|---|---|
| 26–मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र | – | 11437 |
| 42–अन्य व्यय | – | 80 |
| 44–प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय | – | 1520 |
| | योग– | 13037 |

4059–लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय
01–कार्यालय भवन
051–निर्माण
01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं
01–केन्द्रीय नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ में वाटर पूल का निर्माण (के. 100/रा. 00–के.)

| | | |
|---|---|---|
| 24–वृहद निर्माण कार्य | – | 3000 |
| | योग– | 3000 |

9— यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0प0सं0—ई—12—595 /दस—2010 दिनांक 26 फरवरी, 2010 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(गिरिराज प्रसाद वर्मा )
प्रमुख सचिव।

संख्या— 196(1)/छः ना0सु0—तद् दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1—महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम तथा द्वितीय,उत्तर प्रदेश , इलाहाबाद।
2—कोषाधिकारी,जवाहर भवन,लखनऊ।
3—निदेशक,वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन,लखनऊ।
4—वित्त (व्यय—नियंत्रण) अनुभाग—12
5—वित्त(आय—व्ययक) अनुभाग—1/2
6—गार्ड फाइल

आज्ञा से,

(अजेय कुमार श्रीवास्तव)
उप सचिव।